



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267114
CG-DL-E-25102025-267114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4718]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4862(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के एक्रिलोनाइट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 से संबंधित अधिसूचना, जिसे दिनांक 5 अप्रैल, 2022, का.आ. 1646(अ) के तहत जारी किया गया था तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/57/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals And Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4862(E).—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 1646(E), dated the 5th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), relating to the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022 with the immediate effect.

[F. No. PCT-59011/57/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4863(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के मैलेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 से संबंधित अधिसूचना, जिसे दिनांक 5 अप्रैल, 2022, का.आ. 1644(अ) के तहत जारी किया गया था तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/57/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4863(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 1644(E), dated the 5th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) relating to the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022 with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/57/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4864(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग की स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 से संबंधित अधिसूचना, जिसे दिनांक 5 अप्रैल, 2022, का.आ. 1645 (अ) के तहत जारी किया गया था तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. पीसीटी-59011/57/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4864(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers issued *vide* number S.O. 1645(E), dated the 5th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) relating to the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022, with immediate effect.

[F. No. PCT-59011/57/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt Secy.